

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 6-विनियम एवं औ०सं०/पाकालि/11-4-विनियम/86

दिनांक: 29 जनवरी, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995 (यथा संशोधित); जो कि सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में भी प्रभावी एवं लागू है के परिशिष्ट 1 (क) के श्रेणी प-4 के प्रस्तर (4) यान्त्रिक संवर्ग में इंगित तकनीशियन ग्रेड-2 के पद पर सीधी भर्ती हेतु कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-118 -विनियम एवं औ०सं०/पाकालि/10-4-विनियम/86, दिनांक: 24, दिसम्बर, 2010 द्वारा अनिवार्य की गयी कम्प्यूटर अर्हता "उ०प्र० सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर संस्थान से Windows पर कार्य करने सम्बन्धी तीन माह का प्रमाण पत्र" के स्थान पर एतद्वारा "DOEACC द्वारा प्रदत्त 80 घण्टे का Course on Computer Concept (CCC) का प्रमाण पत्र किया जाता है, जिसे साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।"

2. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
3. संगत विनियमावली के अन्य प्राविधान यथा संशोधित लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 6 (1)विनियम एवं औ०सं०/पाकालि/11-तददिनांक: 29/1/11

प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- 3- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० राज्य जल विद्युत निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 5- समस्त निदेशकगण, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं केसको, कानपुर।
- 7- मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/सलाहकार(औस/काविनी), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 11- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 85 वीं बैठक दिनांक 08.01.2011 में लिए गये निर्णय के अनुपालन के सन्दर्भ में।
- 12- अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड किए जाने हेतु।
- 13- कट फाइल।


(जावेद अहमद) 29/1/11
अनुसचिव (विनियम)